अध्याय - V

सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

सड़क परिवहन

मालभाड़ा और यात्रियों की आवाजाही के लिए सड़क परिवहन को काफी पसंद किया जाता है । दसवीं योजना अवधि में सड़क मार्ग से 80% यात्री यातायात और 65% मालभाड़ा यातायात होने का अनुमान है । सड़क यातायात अपनाने के कुछ प्रमुख कारक- आसानी से उपलब्धता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती यात्रा हैं । यह रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए एक पूरक सेवा का कार्य भी करती है ।

5.1.2 यह विभाग, पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त सड़क परिवहन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के कार्य से भी जुड़ा है ।

5.1.3 विभाग के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियम/नियमावलियां, जो मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, का प्रशासन किया जाता है :-

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865

5.1.4 सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण पर्यावरण में गिरावट और सुरक्षा पहलू चिंता के विषय रहे हैं । चूंकि वाहन उत्सर्जन से वायु प्रदूषण होता है, कठोर उत्सर्जन मानक कोडीकृत किए गए हैं और समय-समय पर उन्हें लागू किया जा रहा है ।

5.1.5 भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानक जो यूरो-II मानक के समान हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, आगरा, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद/ सिकंदराबाद, कानपुर, पुणे, सूरत, शोलापुर और लखनऊ में दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए लागू किए गए थे, उन्हें 1 अप्रैल, 2005 से इस तारीख को और इसके बाद विनिर्मित सभी श्रेणी के वाहनों के लिए पूरे देश में (कुछेक राज्यों/क्षेत्रों को छोड़कर जहां डीजल वाहनों के लिए इन मानकों को लागू करना अलग-अलग अवधि के लिए 1 अक्तूबर, 2005 तक स्थगित कर दिया गया था) लागू कर दिए गए हैं ।

5.1.6 भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानक जो यूरो-III मानक के समान हैं, 1 अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, सिकंदराबाद/हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में चार पहिया वाहनों के लिए लागू कर दिए गए हैं।

5.1.7 सरकार ने डब्ल्यू पी-29 (वाहन विनियमों को समरूप बनाने के लिए विश्व मंच) के 1998 के करार में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस करार में शामिल होने से देश मोटर वाहनों के उत्सर्जन और सुरक्षा विनियमों में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपना सकेगा तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करने के कार्य में भी अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकेगा। इससे हमारा देश स्वदेशी विनिर्मित वाहनों अथवा देश में आयातित वाहनों की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निष्पादन के बेंचमार्क बना सकेगा। स्वदेशी आटोमोबाइल वाहन विनिर्माता विदेशी बाजारों में तकनीकी अवरोधों से भयभीत हुए बिना विश्व बाजार में पहुंच बना सकेंगे। इसके अनुसमर्थन की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

5.1.8 अमृतसर और लाहौर तथा अमृतसर और ननकाना साहिब के बीच बस सेवा प्रारंभ करने के लिए पाकिस्तान के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमृतसर-लाहौर बस सेवा जनवरी, 2006 में प्रारंभ हो चुकी है जबकि अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवा फरवरी, 2006 में प्रारंभ होनी है।

5.1.9 वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करने तथा सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2005 बनाने के लिए 7 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया है। इस विधायन से परिवहन प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा सड़क द्वारा माल परिवहन की व्यवस्था और प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक जांच के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

5.1.10 केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में प्रतिवर्ष कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों को परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद में एक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है।

केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन

5.1.11 विभाग ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में कतिपय संशोधन किए हैं।

- दिनांक 16 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 589 (अ) द्वारा केंद्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन किए गए हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

(i) "बैटरी चालित वाहन" और "पावर टिलर" को परिभाषित किया गया है।

(ii) पावर टिलर के लिए उत्सर्जन मानक, समग्र आकार और अन्य सभी अपेक्षित मानक

निर्धारित किए गए हैं ।

(iii) मोटर यान अधिनियम/नियमावली के तहत अपेक्षित विभिन्न सेवाओं के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट की गई है ।

(iv) दुपहिया विनिर्माताओं को मार्च, 2006 से दुपहिया की बिक्री के समय बी. आई. एस. मानक के अनुरूप सुरक्षा हैड गियर प्रदान करने का आदेश दिया गया है ।

(v) सी एन जी/एल पी जी किटों के संबंध में सुरक्षा और उत्सर्जन नियमों को युक्तिसंगत बनाया गया है ।

(vi) एम 3 श्रेणी की सभी बसों के लिए आपातकालीन निकासी व्यवस्था अनिवार्य बनाई गई है ।

(vii) राज्यों को पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाले परिवहन वाहनों में फॉग लैम्प, पावर स्टियरिंग, डी-फॉगिंग और डी-मिस्टिंग प्रणाली जैसे विशेष प्रावधान निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ।

- 1 जून, 2005 की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 349 (अ) द्वारा केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में खतरनाक और जोखिमी माल की सूची अद्यतन की गई है । इस बड़ी सूची से सड़क द्वारा ऐसे माल के परिवहन की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

सड़क सुरक्षा

5.1.12 इस विभाग में सितंबर, 1986 से सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है । यह प्रकोष्ठ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम करने के लिए सड़क सुरक्षा नीतियां तैयार करता है । प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई और प्रबंधित महत्वपूर्ण स्कीमों में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान आदि शामिल हैं ।

5.1.13 वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :-

- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया में जन जागरूकता अभियान चलाए गए । इन अभियानों में सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश के साथ कलैंडर का मुद्रण, रेडियो झलकियों का प्रसारण, कंप्यूटरीकृत सजीव प्रदर्शन आदि शामिल हैं । दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सड़क सुरक्षा संबंधी टी.वी. झलकियां प्रसारित की जा रही हैं । सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक जागरूकता लाने के लिए आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में झलकियों का प्रसारण किया जा रहा है । कलैंडर, पेम्फलेट, पोस्टर आदि

- प्रचार सामग्री, वितरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है ।

- सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए 95 गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया।

- राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन निर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन निगमों आदि के सहयोग से 2 से 8 जनवरी, 2006 तक 17वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया । इस बार इसका विषय था "तेज गति और अधिक भार लदान से बचें" ।

- असंगठित क्षेत्र में भारी वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष 45,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है ।

- आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जा रही है। बेटकुची, गुवाहाटी (असम), हगरी बोम्मानहल्ली (कर्नाटक), जेसोर (कोलकाता, पश्चिम बंगाल), देहरादून (उत्तरांचल), जेसूर (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) और इडाप्पल (केरल) के स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर दी गई है । उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों से प्राप्त दो नए स्कूलों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

- राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जा रही हैं ताकि दुर्घटना स्थल को क्लियर किया जा सके और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा केंद्र पहुंचाया जा सके । चालू वर्ष में कुल 70 एंबुलेंस और 30 क्रेनें प्रदान की जानी हैं ।

- तीन वर्गों अर्थात् पर्वतीय वर्ग, शहरी वर्ग और नगरेतर वर्ग (दो पुरस्कार) के लिए राज्य सड़क परिवहन निगमों को 'परिवहन मंत्री ट्राफी' प्रदान की जाती है । इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ट्राफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है । वर्ष 2004-05 के लिए नगरेतर वर्ग में उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम, शहरी वर्ग के लिए बंगलौर महानगर परिवहन निगम और पर्वतीय वर्ग के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम विजेता रहे । कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को द्वितीय सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए नगरेतर वर्ग में 50,000/-रु0 का नकद पुरस्कार दिया गया ।

- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य के लिए गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाता है । गैर सरकारी संगठन वर्ग के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए और व्यक्तिगत वर्ग में यह राशि 50,000 रु. है । उपविजेता के लिए गैर सरकारी वर्ग के अंतर्गत 30,000 रु. और व्यक्तिगत वर्ग के अंतर्गत 15,000 रु. हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में पहल

5.1.14 सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए जिन 95 गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 17 पूर्वोत्तर राज्यों के हैं । इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली 70 ऐंबुलेंस और 30 क्रेनों में से 4 ऐंबुलेंस और 2 क्रेनें पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ।

कोलकाता में दूसरे विवेकानन्द ब्रिज के अंतर्गत निर्माण कार्य